जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 318 प्रभात उदयपुर, शुक्रवार 19 सितम्बर, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

साउदी अरब का पाक को गुपचुप समर्थन, अब खुल्लम-खुल्ला गठबंधन में परिवर्तित हुआ

दोनों देशों के मध्य हुए ''डिफैंस'' अनुबंधन से, ''एक पर आक्रमण, दोनों पर आक्रमण'' माना जायेगा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18, सितंबर। एक नाटकीय घटनाक्रम, जो दक्षिण एशिया के रणनीतिक मानचित्र को बदल सकता है, में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बुधवार को रियाद में एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में यह वचन दिया गया कि एक पर हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हुई राजकीय यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ, जो दशकों से चल रहे अनौपचारिक सैन्य संबंधों को एक बाध्यकारी संधि में बदल देता है।

- साउदी अरब को पाकिस्तान के ''न्यूक्लियर बम'' की सुरक्षा (न्यूक्लियर छाते) का लाभ मिलेगा तथा पाकिस्तान के लिए साउदी की आर्थिक ताकत व सद्भावना एक कवच का काम करेगी।
- भारत के लिए डबल संकट है। साउदी अरब को भारत खाड़ी देशों में अपना सबसे नज़दीकी राष्ट्र गिनता था। पाकिस्तान से कई बार हुए युद्ध के दौरान भी भारत ने साउदी अरब से रिश्ते दोस्ती भरे ही रखे थे और साउदी अरब, भारत का पाँचवा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है तथा साउदी अरब के लिए भी भारत दूसरे नम्बर पर सबसे बड़ा व्यावसायिक पार्टनर रहा है।

संयुक्त बयान में इस समझौते को आठ दशकों की साझेदारी की परिणति बताया गया, जो इस्लामी एकता और साझा रणनीतिक हितों में निहित है। इसमें गहन रक्षा सहयोग और किसी भी आक्रमण के विरुद्ध एक मजबूत संयुक्त प्रतिरोध की बात कही गई है।

लेकिन इसके पीछे एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे नई दिल्ली चिंताजनक नजरों से देख रही है। पहली

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कैबिनेट मीटिंग आज दिन में 12 बजे

जयपुर, 18 सितंबर। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार की दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी प्रस्तावित है। दोनों बैठकों में राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जा सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे और करीब 1.21

- प्रधानमंत्री की बांसवाड़ा यात्रा की तैयारी व ''शहर चलो, गाँव चलो'' अभियान पर चर्चा होगी।

लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। ऐसे में कैबिनेट बैठक में उनके दौरे की व्यवस्थाओं और संबंधित योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में ''शहर चलो, गांव चलो'' अभियान के तहत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब भारत को अपनी सेना के लिए हथियारों व अन्य सामान का स्वयं ही निर्माण करना पड़ेगा

चीन द्वारा सैनिक परेड में स्वनिर्मित हथियारों व अन्य सामान के प्रदर्शन से विश्व स्तब्ध रह गया था, कुछ वैसा ही होना पड़ेगा भारत में

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ आपसी रक्षा समझौता भारत के लिए एक नया सुरक्षा परिदृश्य पैदा करता है, जिससे भूमध्य सागर से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक पूरे क्षेत्र के देशों के बीच और ज्यादा ध्रुवीकरण होगा।

भारत ने बेशक सामान्य भाव बनाए रखा और प्रेस बयान जारी किया, लेकिन सुरक्षा और रणनीतिक विशेषज्ञ इस घटनाक्रम पर गहरी नजर रखे हुए हैं। बयान से साफ है कि यह अचानक नहीं हुआ है, बल्कि काफी समय से इसकी तैयारी चल रही थी।

- अब तक भारत विदेश से हथियार आदि खरीद लेता था। पर, इस दौड़ में पाकिस्तान आगे निकल सकता है, साउदी अरब के पैसे के जोर पर।
- इसका एक परिणाम यह भी होगा कि भारत मजबूरन इज़रायल के नज़दीक होगा, नवीनतम् टैक्नॉलजी व जानकारियाँ पाने के लिए।
- और, अब तक जो भारत गर्व करता रहा है, अपने आईटी इंजिनियर्स व सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स पर, उनको भी कमर कसनी होगी, इज़रायल आदि से प्राप्त नवीन टैक्नॉलजी को परिष्कृत कर, भारत को इस मामले में स्वावलम्बी बनाने के लिए। केवल थ्योरैटिकल ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा।

सऊदी अरब के साथ आपसी रक्षा संधि के जरिए पाकिस्तान ने एक बार फिर ऐसा समझौता किया है, जिससे उसे मध्य-पूर्व के सभी देशों के रणनीतिक परिदृश्य में अहमियत मिल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ललित मोदी का भाई दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार

नयी दिल्ली, 18 सितंबर। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस ने भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी को दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और आपराधिक धमकियों जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने समीर के खिलाफ यह कार्रवाई 10 सितम्बर को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की है।

प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2019 से लेकर 2025 तक समीर मोदी ने अपने प्रभाव और ऊंचे पद का दुरुपयोग करते हुए उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने बताया कि समीर मोदी ने नौकरी और व्यावसायिक अवसर दिलाने का लालच देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। शिकायत में दर्ज है कि आरोपी ने कई मौकों पर अपने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली स्थित निवास और दफ़्तर में पीड़िता को बुलाकर जबरन दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे नौकरी से निकालने, करियर बर्बाद करने और परिवार को नुकसान पहुँचाने की धमकियां दीं। वर्ष 2022 में उसने पीड़िता को मजबूरन अपनी नौकरी से इस्तीफा देने पर विवश कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि समीर मोदी अक्सर शराब पीकर उसके घर आ जाता और दरवाज़ा तोड़ने तक की कोशिश करता।

हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी ने अडानी समूह को क्लीन किट दी

नयी दिल्ली, 18 सितंबर। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने दो मामलों में अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग के आरोपों को गुरुवार को तथ्यहीन करार दिया और कहा कि समूह की ओर से बाजार नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अडानी समूह के प्रमुख ने इस फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि उस समय गलत रिपोर्ट को प्रचारित करने वालों को देश से माफी मांगनी चाहिए।

सेबी के पूर्ण कालिक सदस्य कमलेश सी. वाष्णेय ने इन मामलों में अपने फैसलों में कहा, ''मामले पर पूर्णता में विचार करने के बाद, मैंने पाया कि आरोप साबित नहीं होते हैं।'' इन मामलों में एक माइलस्टोन ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड और रेहवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ अडानी समूह के लेन-देन से जुड़ा है। दूसरा मामला एडीकॉर्प इंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ लेन-देन से जुड़ा है।

गौरतलब है कि अमेरिका की सटोरिया कंपनी हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पावर मुन्द्रा लिमिटेड (जिसका अब अडानी पावर में विलय हो चुका है) को वित्त वर्ष 2020-21 में माइलस्टोन ट्रेडलिंक्स और रेहवर इंफ्रास्ट्रक्चर से अडानी इंफ्रा (इंडिया) के जरिये पैसे मिले थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इस धन के स्त्रोत पर सवाल उठाये गये थे।

सेबी ने आज के निर्णय में कहा है कि ये लेन-देन एक ही समूह के तहत आने वाली कंपनियों के बीच के लेनदेन की श्रेणी में नहीं आते। सेबी ने व्यवस्था दी है कि इन सौदों में कंपनियों के शेयरों की बाजार सूचीबद्धता संबंधी दायित्वों और सार्वजनिक सूचना के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने सेबी के इन फैसलों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''विस्तृत जांच के बाद सेबी ने भी उस बात की पुष्टि कर दी जो हम हमेशा से कहते आ रहे थे, कि हिंडेनबर्ग के दावे आधारहीन हैं। पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा से अडानी समूह के गुण रहे हैं।''

मुस्लिम द्वारा मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज

कर्नाटक सरकार ने 22 सितम्बर से शुरु हो रहे दशहरा उत्सव में बुकर विजेता, लेखिका बानू मुश्ताक को चीफ गैस्ट बनाया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18, सितंबर। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें प्रसिद्ध लेखिका ''बानू मुश्ताक'' द्वारा कर्नाटक में दशहरा उत्सव का उद्घाटन किए जाने पर आपत्ति जताई गई है।

हाल ही में ''कर्नाटक उच्च न्यायालय'' ने ऐसी कई याचिकाएं एक साथ खारिज कर दी थीं, जिनमें दावा किया गया था कि बानू मुश्ताक की भागीदारी लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले ''हिंदू विरोधी'' बयान दिए हैं।

- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका न केवल विचारार्थ स्वीकार कर ली है, बल्कि उसकी शीघ्र सुनवाई पर भी सहमति दे दी है।
- याचिका में कहा गया है कि बानू मुश्ताक पूर्व में कई हिंदू विरोधी बयान दे चुकी हैं, उन्हें चीफ गैस्ट बनाने से हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं।
- ज्ञातव्य है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि बानू मुश्ताक कई सार्वजनिक पदों पर रही हैं और किसी खास धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने से संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन नहीं होता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के उच्च निर्णय में दखलंदाजी करने से इनकार किये जाने को चुनौती दी गई है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ने मैसूर के दशहरा महोत्सव के उद्घाटन के लिये बुकर पुरस्कार प्राप्त लेखिका बानू मुश्ताक को आमंत्रित किया है। मुख्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ'

नयी दिल्ली, 18 सितंबर। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने अपनी एक टिप्पणी को लेकर गुरुवार को भ्रम दूर करने की कोशिश की।

न्यायमूर्ति गवई ने खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण की राकेश दलाल की याचिका पर 16

- सीजेआई गवई ने खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति के निर्माण संबंधी याचिका को खारिज करते समय की गई टिप्पणी को गलत तरीके से पेश करने पर यह बात कही।

सितंबर को अपनी टिप्पणी पर जारी तीखी प्रतिक्रिया के बीच कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।

पीठ ने मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर खजुराहो मंदिर परिसर के हिस्से (जवारी मंदिर) में भगवान विष्णु की सात फुट ऊँची मूर्ति के पुनर्निर्माण और पुनः स्थापित करने के निर्देश देने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीवर की ''मैनुअल क्लीनिंग'', सुप्रीम कोर्ट ने पीडब्ल्युडी पर 5 लाख का जुर्माना ठोका

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के ही एक गेट के सामने सीवर की सफाई से जुड़ा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट (पी.डब्ल्यु.डी.) पर 5 लाख रु. का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के गेट एफ के बाहर मैनुअल सीवर सफाई कराए जाने को लेकर की गई, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है।

कोर्ट ने पाया कि पी.डब्ल्यु.डी. ने न केवल सुरक्षा उपकरणों के बिना मजदूरों को काम पर लगाया, बल्कि एक नाबालिग को भी इस खतरनाक कार्य में लगाया गया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर आदेश का दोबारा उल्लंघन हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यह जुर्माना चार सप्ताह के भीतर 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग' के पास जमा कराया जाए।

- अगस्त में कोर्ट ने नोट किया कि उसकी नाक के नीचे ही मैनुअल क्लीनिंग पर दिए गए आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, इस पर पीडब्ल्युडी से जवाब मांगा गया।
- इस मामले में एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) अधिवक्ता के. परमेश्वर ने कोर्ट को सप्रमाण बताया कि पीडब्ल्युडी ने जिन मजदूरों से सफाई करवाई, उनमें एक नाबालिग भी था और मजदूरों को सुरक्षा उपकरण भी नहीं दिए गए थे।
- पीडब्ल्युडी ने अपने जवाब में कहा कि यह ढके हुए नालों से मिट्टी हटाने का ही काम था। इसमें कोई खतरा नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ।
- पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस जवाब पर असंतोष जताया और गुरुवार को पीडब्ल्युडी पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया तथा कहा कि जुर्माना राशि चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में जमा करवाई जाए। कोर्ट ने कहा, दोबारा अगर आदेश का उल्लंघन हुआ तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

गुरुवार को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजनिया की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट के. परमेश्वर, जो इस मामले में कोर्ट के एमिकस क्यूरी हैं, ने कहा कि, ''जिन लोगों को जबरन सफाई के लिए लगाया गया, उनमें एक नाबालिग भी शामिल है। उसका नाम और पता रिकॉर्ड में है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नाबालिग काम कर रहा है। तिलक नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन न पी.डब्ल्यु.डी. ने कार्रवाई की और न ही पुलिस ने। यह सिर्फ श्रम कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है।'' वे कहते हैं, उन्होंने एक लैटर जारी किया पर वह कारण बताओ नोटिस तक नहीं था। उनके जवाब में कहा गया कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है हमने सुरक्षा उपकरण दिए थे और नाबालिग के होने का तो सवाल ही नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

साध्वी प्रज्ञा सहित 7 को बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस

भोपाल, 18 सितंबर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी सात लोगों को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही अदालत ने

- मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा सहित 7 लोगों को एनआईए कोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश को पीड़ित परिवारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

एनआईए को भी नोटिस जारी किया है। विस्फोट में मारे गए छह लोगों के परिवारों ने विशेष एनआईए अदालत के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मुझे चुनाव आयोग की ''वोट चोरी'' का पर्दाफाश करने में आयोग के कुछ लोगों की मदद मिल रही है'

राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से कुछ और ''सबूत'' पेश किये ''वोट चोरी'' प्रकरण में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नए पार्टी मुख्यालय में अपनी हाइड्रोजन बम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने ते मुद्दे पर एक महिला और एक पुरुष को पेश किया।

राहुल गांधी ने कहा: ''मैं इस मंच पर ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा जो 100 प्रतिशत सबूतों पर आधारित न हो।'' उन्होंने कहा कि उन्हें इस कथित हेराफेरी के सबूत मिले हैं।

कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बबीता चौधरी नाम की महिला को मंच पर बुलाया, जिनका नाम, उनके अनुसार, मतदाता सूची से हटा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने सूर्यकांत नामक व्यक्ति को भी पेश किया, जिसके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कथित रूप से बबीता का नाम हटाने के लिए किया गया।

राहुल ने सूर्यकांत से पूछा: ''आपने 14 मिनट में 12 वोटर कैसे डिलीट कर दिए?''

उन्होंने आरोप लगाया कि यह काम पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं, बल्कि कॉल सेंटर स्तर पर बड़े पैमाने पर किया गया।

- भाजपा ने पलटवार में कहा, राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस नब्बे चुनाव हार गई है। अतः उनकी कुण्ठा व निराशा दिनों-दिन बढ़ रही है और झूठे-सच्चे आरोप लगाना उनकी आदत बन गई है।
- अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे घर-घर में अभियान के रूप में जनता को यह बतायें कि अगर गलती से किसी तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो बिहार के हर जिले में केवल घुसपैठिये ही रहेंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि किसी ने एक केंद्रीकृत आपराधिक तंत्र खड़ा किया है जो चुनाव चोरी के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में इस गिरोह ने 6018 मतदाता विलोपन आवेदन फर्जी तरीके से दायर किए, वो भी अन्य राज्यों के मोबाइल नंबरों से।

आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने यह चौंकाने वाला खुलासा भी किया कि उनकी पार्टी को चुनाव आयोग के अंदर के लोगों से ही मदद मिल रही है, जिससे देशभर में हो रही कथित वोट चोरी का पर्दाफाश हो रहा है।

राहुल गांधी ने दावा किया, ''अब हमें चुनाव आयोग के अंदर से मदद मिलनी शुरू हो गई है। पहले यह नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो रहा है और यह रुकेगा नहीं। भारत के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही युवाओं को पता चलेगा कि वोट चोरी हो रही है, उनकी ताकत सामने आएगी।''

उन्होंने आरोप लगाया कि, ''कर्नाटक के अलंद में किसी ने 6,018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। हमें यह नहीं पता कि 2023 के चुनावों में कुल कितने वोट डिलीट हुए, लेकिन यह मामला संयोग से पकड़ा गया। बूथ लेवल ऑफिसर को पता चला कि उसके चाचा का वोट डिलीट हो गया था।

राहुल के दावों से विचलित, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चारधाम हैलिकॉप्टर सेवा के नियम सख्त किए

नयी दिल्ली, 18 सितंबर। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा हेलिकॉप्टर सेवा के लिए नियम कड़े कर दिये हैं।

उत्तराखंड सरकार, डीजीसीए, हेलिकॉप्टर सेवा कंपनियों और नागरिक

- नगर विमानन महानिदेशालय ने हैलिकॉप्टर सेवा पुनः बहाल करते हुए सख्त सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के निर्देश दिए।

उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद बढ़े हुये सुरक्षा उपायों के साथ 15/16 सितंबर से सेवा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)